

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर

(Email ID dcf.gan.forest@rajasthan.gov.in

Phone & Fax No. 0154-2472335)

क्रमांक :- एफ()सर्व/उवस/2024-25/ 8836

दिनांक :- 20/11/24

निमित्त ,

अधिशायी अभियंता (टी एण्ड सी),
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड,
हनुमानगढ़, राजस्थान।

विषय :- Diversion of 1.3407 ha fo forest land for CONSTRUCTION OF 220 KV S/C
SURATGARH- PADAMPUR TRANSMISSION LINE, in Favour of Rajasthan Rajya
Vidut Prasaran Nigam Ltd Hanumangarh, District - Sri Ganganagar , Rajasthan.


संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान के पत्रांक 2491 दिनांक
09.09.2024 एवं संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर के पत्रांक 7330 दिनांक
17.09.2024 ,

PROPOSAL NO. FP/RJ/TRANS/300191/2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उच्च कार्यालय के निर्देशानुसार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिम्मेदारी तय कर धारा 3ए व 3बी की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित जाता है कि आप यह अंडरटेकिंग दे की भविष्य में इस प्रपोजल कि सैद्धांतिक स्वीकृति में यदि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 कि धारा 3ए एवं 3बी के तहत कोई Penal CA / अन्य शर्तें अधिरोपित की जाती है तो उसकी पालना आपके द्वारा की जाएगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।


(दिलीप सिंह राठौड़)
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर